न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

निगरानी सं. 56 / 2023

जी.सी.एम.एस. नं.: 2023 / 537

1. सतनाम सिंह पुत्र चरण सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 23 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़
2. बलवीर सिंह पुत्र चरण सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 23 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़
3. सन्तबीर सिह पुत्र चरण सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 23 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़
4. नवदीप सिंह पुत्र सरदुल सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 23 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़

— निगरानीकर्ता(प्रार्थीगण)

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत 24 जीबी, श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़
2. उप स्वास्थ्य केन्द्र, 23 जीबी जरिए प्रभारी अधिकारी उप स्वास्थ्य केन्द्र, 23 जीबी ग्राम पंचायत 24 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़

—गैरनिगरानीकर्ता(अप्रार्थीगण)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति :—

1. श्री तिलकराज चुघ, अधिवक्ता निगरानीकर्तागण
2. श्री सुखविन्द्र सिंह, अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता सं. 1

—:: **निर्णय** ::—

दिनांक : 09/02/2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :—

1. निगरानीकर्तागण / प्रार्थीगण के द्वारा निगरानी मय प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा पंचायतराज अधिनियम के आज्ञपक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जैर निगरानी प्लाट साईज 70 गुणा 70 वर्गफीट यानि 4900 वर्गफीट(544 वर्गगज) का पट्टा सं. 50 बुक सं. 18 दिनांक 12.12.2022 नियम 158(1) के तहत ग्राम पंचायत की बैठक के संकल्प सं. 3 की रूह से जारी कर दिया जो विधि विरुद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत हैं। पट्टा सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नियमों की अनदेखी कर जारी किया गया हैं। सरकारी संस्थाओं को पट्टा नियम 162 के तहत जिला परिषद् से अनुमोदन के पश्चात ही जारी किया जा सकता था। ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक चौक की जगह का पट्टा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष जारी किया हैं, जो विधिविरूद्ध व प्रारम्भ से ही शून्य हैं। पट्टा जारी किये जाने से पूर्व ग्रामवासियों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। प्रश्नगत पट्टा को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।
2. निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगरानीकर्तागण को तलब किया गया। दिनांक 28.12.2023 को निगरानीक[illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार करते [illegible]नीकर्तागण को निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति [illegible] में हुई देरी को कन्डोन किये जाने के आदेश दिये गये।
3. अप्रार्थी स. 1 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 2 उप स्वास्थ्य केन्द्र की ओर से ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनूपगढ़ [illegible]स्थित होकर जवाब क्रमांक / 188 दिनांक 23.01.2024 प्रस्तुत किया। निगरानीकर्ता अधिवक्ता स्थगन प्रार्थना पत्र पर निवेदन करते हुए प्रकरण में निगरानी के निर्णय तक मौका की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता ने एतराज व्यक्त किया। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा निवेदन किया गया कि उनके द्वारा मौका पर पट्टाशुदा भूमि पर उपस्वास्थ्य केन्द्र के

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:45:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)
जिला कलक्टर अनूपगढ़

भवन का निर्माण किया जा रहा हैं। उभयपक्ष की ओर से दस्तावेजात पेश हुए। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए उभयपक्ष की मूल पत्रावली निगरानी पर बहस सुनी गयी।

4. प्रार्थीगण के अधिवक्ता अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत अप्रार्थी सं. 1 द्वारा विधिविरूद्ध ग्राम के सार्वजनिक चौक की जगह का पट्टा अप्रार्थी सं. 2 के नाम से जारी कर दिया है, जो खारिज योग्य हैं। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा पंचायतराज अधिनियम के नियम 158 के तहत जारी किया गया हैं, जबकि उसमें सरकारी संस्था को पट्टा जारी किये जाने के कोई प्रावधान निहित नहीं हैं। पट्टा नियम 162 में सरकारी संस्थाओं को जारी किया जाना था। जिसमें जिला परिषद् से अनुमोदन लेकर केवल 500 वर्गगज का पट्टा जारी किया जा सकता था, लेकिन प्रकरण में 544 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया हैं जो विधिविरूद्ध होने के कारण प्रारम्भ से शून्य व प्रभावहीन होने से काबिल निरस्ती हैं। पट्टा सार्वजनिक चौक की जगह का जारी किया गया हैं जो जारी नहीं जा सकता हैं। पट्टा निरस्त करने के लिए निवेदन किया। अधिवक्त अप्रार्थी सं. 1 अपनी बहस में कथन किया कि पट्टा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किया गया हैं। पट्टा जारी करने से पूर्व निगरानीकर्तागण द्वारा सहमति लिखित में दी गयी हैं। निगरानीकर्तागण एवं ग्रामवासियों की सहमति उपरान्त अप्रार्थी सं. 2 के नाम से पट्टा जारी किया गया हैं। निगरानीकर्तागण द्वारा केवल उप स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कार्य को बाधित करने के उद्देश्य से निगरानी प्रस्तुत की हैं। निगरानी खारिज करने हेतु निवेदन किया।

5. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। प्रश्नगत पट्टा सं. 50 बुक नं. 18 ग्राम पंचायत 24 जीबी द्वारा संकल्प सं. 3 की अनुपालना में दिनांक 12.12.2022 को उपस्वास्थ्य केन्द्र 23 जीबी के नाम से नियम 158(1) के अन्तर्गत जारी किया गया हैं। नियम 158(1) इस प्रकार से हैं कि –

"**भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन**–(1) पंचायत, गांव आबादियों में 150 वर्ग गज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्गों के सदस्यों को, गांव कारगारों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों के पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं हैं और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनमें गृह–स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु आयोग्य हो गये, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी।"

निगरानीकर्ता द्वारा निवेदन किया गया हैं कि सरकारी संस्थाओं को भूमि का आवंटन नियम 162 के तहत किया जाता हैं। नियम 162 इस प्रकार से हैं कि–

"**सरकारी संस्थाओं को आबादी भूमि का आवंटन**–(1) पंचायत, आबादी क्षेत्र के भीतर 500 वर्गगज तक की भूमिया, संबंधित जिला परिषद् द्वारा पुष्टि किये जाने के अध्यधीन, विद्यालय, औषधालय, आंगनबाड़ी को निःशुल्क आवंटित कर सकेंगी।

(2)कोई भी अन्य निःशुल्क या रियायती कीमत पर आवंटन के राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ही किये जायेंगे।

प्रकरण में गैरनिगरानीकर्ता [illegible] अधिसूचना दिनांक 06.04.2017 का उद्धरण प्रस्तुत किया। जिस अनुसार राज्य सरकार के द्वारा सरकारी कार्यालय के भवन हेतु 500 वर्गगज तक संबंधित ग्राम पंचायत को, 500 से अधिक एवं 1000 वर्ग गज तक संबंधित पंचायत समिति की पूर्वानुमति से एवं 1000 वर्गगज से अधिक भूमि का निःशुल्क आवंटन संबंधित जिला परिषद् की पूर्वानुमति से किये जाने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् को अधिकृत किया गया हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:45:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर अनूपगढ़

प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम के नियम 158(1) के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 2 उप स्वास्थ्य केन्द्र के नाम से पट्टा जारी किया गया हैं। जबकि सरकारी संस्थाओं को पट्टा नियम 162 के तहत जारी किया जाना चाहिए था। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत के द्वारा 70 गुणा 70 यानि 4900 वर्गफुट अर्थात 544.44 वर्गगज भूमि का पट्टा अप्रार्थी सं. 2 उप स्वास्थ्य केन्द्र के नाम से जारी किया गया हैं। जबकि 500 वर्गगज तक की ही भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जा सकता था, इससे अधिक भूमि का पट्टा जारी करने हेतु पंचायत समिति/जिला परिषद् की पूर्वानुमति ली जानी आवश्यक थी। परन्तु रिकार्ड पर इसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं।

ऐसी स्थिति में चूंकि ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा सही नियमों में नहीं होने तथा यदि पट्टा जारी करते समय नियम को लिखा जाना लिपिकीय भूल भी माना जाए तो भी ग्राम पंचायत द्वारा अपनी अधिकारिता के बाहर 500 वर्गगज से अधिक भूमि का पट्टा जारी किया हैं। जो निरस्त किये जाने योग्य हैं।

6.

—: आदेश :—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निगरानी निगरानीकर्तागण **स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत 24 जीबी द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र 23 जीबी के पक्ष में जारी प्रश्नगत पट्टा सं. 50 बुक सं. 18 दिनांक 12.12.2022 को निरस्त किया जाकर अधिनस्थ कार्यालय ग्राम पंचायत 24 जीबी पंचायत समिति श्रीविजयनगर को निर्देशित किया जाता हैं कि आदेशों की पालना सुनिश्चित करें। विकास अधिकारी पंचायत समिति को निर्देशित किया जाता हैं कि ग्राम पंचायत 24 जीबी से आदेशों की पालना सुनिश्चित करावें। निर्णय की प्रति संबंधित ग्रा.वि.अ. ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति को पालनार्थ प्रेषित की जावे।**

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 09/02/2024 **को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(अवधेश मीना)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
अनूपगढ़

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:45:19 IST
Reason: SelfAttested